

# e-Challan

## Registration and Stamps department Government of Rajasthan

GRN: 0071403832



Payment Date: 28/01/2023 17:36:01

Office Name: SUB REGISTRAR-I REGISTRATION & STAMPS, SANGANER

Location: SANGANER

Period: 01/04/1992-To-31/01/2023

| S.No | Purpose/Budget Head Name           | Amount ( ₹ ) |
|------|------------------------------------|--------------|
| 1    | 0030-02-800-01-00-अन्य प्राप्तियां | 1500.00      |

Commision(-): 0.00

Total/NetAmount: 1500.00

One Thousand Five Hundred Rupees and Zero Paise Only

### Payee Details:

|                                                                                                                 |                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| Full Name: Tanishk Housing Development LLP                                                                      | Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :                     |                |
| Pan No.(If Applicable):                                                                                         | City(Pincode):                                      | Jaipur(302012) |
| Address:F-109, F-110, F-111, F-125, Scheme- Vidhan Sabha Nagar<br>F-Block, Village-Ramsinghpura urf Dholai, Teh | Remarks:Advocate Search Report- Kripa Kumari Gurjar |                |

### Payment Details:

Challan No. - 0

|       |                     |              |                      |
|-------|---------------------|--------------|----------------------|
| Bank: | State Bank Of India | Bank CIN No: | SBIN7140383228012023 |
| Date: | 28/01/2023 17:36:01 | Refrence No: | CKW0286414           |

Computer generated copy on : 28/01/2023

Courtsy : <https://Egras.rajasthan.gov.in>

Kripa Kumari Gurjar

(Advocate/ Attorney)

106, B-Block, Vedang Height,  
Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan-302033  
Cont.No. +91-7737176923  
E-mail: [gurjarkripa@gmail.com](mailto:gurjarkripa@gmail.com)

---

**Date- 28.01.2023**

**Title Search Report**

Sir,

As per photocopies of documents/papers made available to me, I have carefully examined the same.

As reveal from the documents the situated at Plot No. F-109, F-110, F-111, F-125, Scheme- Vidhan Sabha Nagar, F-Block, Village-Ramsinghpura urf Dholai, Tehsil-Sanganer, District-Jaipur, State- Rajasthan is owned by TANISHK HOUSING DEVELOPMENT LLP, Jaipur.

**Description of Land with respect to Plot No. F-109, F-110, F-111, F-125, with total area admeasuring 937.85 sq mtr situated at Scheme- Vidhan Sabha Nagar F-Block, Village-Ramsinghpura urf Dholai, Tehsil- Sanganer, District-Jaipur, State- Rajasthan**

1. Certified Copy of registered Lease Deed dated 17.05.2016 issued by Jaipur Development Authority for the Plot No. F-109 in favour of Shri Himmat Mal Doshi S/o Shri Janwari Mal Doshi R/o Jaipur, Rajasthan which was duly registered on 09.09.2016 in the office of sub registrar Jaipur-II, in its Book No. 1, Volume No. 1043, Page No. 76 bearing serial No. 201603016107679 and an additional copy of the same was also pasted in its additional Book No. 1 Volume No. 4158 at Page No. 424-435.
2. Certified Copy of registered Lease Deed dated 28.04.2016 issued by Jaipur Development Authority for the Plot No. F-110 in favour of Shri Himmat Mal Doshi S/o Shri Janwari Mal Doshi R/o Jaipur, Rajasthan which was duly registered on 09.09.2016 in the office of sub registrar Jaipur-II, in its Book No. 1, Volume No. 1043, Page No. 78 bearing serial No. 201603016107681 and an additional copy of the

**Adv. Kripa Kumari Gurjar**  
*[Signature]*  
**R/1722077**  
*[Signature]*

same was also pasted in its additional Book No. 1 Volume No. 4158 at Page No. 448-459.

3. Certified Copy of registered Lease Deed dated 10.02.2014 issued by Jaipur Development Authority for the Plot No. F-111 in favour of Shri Madan Lal Gupta S/o Late Shri Nathuram R/o Jaipur, Rajasthan which was duly registered on 18.02.2014 in the office of sub registrar Jaipur-V, in its Book No. 1, Volume No. 749, Page No. 82 bearing serial No. 2014397002024 and an additional copy of the same was also pasted in its additional Book No. 1 Volume No. 2994 at Page No. 314-321.
4. Certified Copy of registered Lease Deed dated 17.05.2016 issued by Jaipur Development Authority for the Plot No. F-125 in favour of Shri Himmat Mal Doshi S/o Shri Janwari Mal Doshi R/o Jaipur, Rajasthan which was duly registered on 09.09.2016 in the office of sub registrar Jaipur-II, in its Book No. 1, Volume No. 1043, Page No. 76 bearing serial No. 201603016107679 and an additional copy of the same was also pasted in its additional Book No. 1 Volume No. 4158 at Page No. 424-435.
5. Certified Copy of reconstitution letter for Plot No. F-109, F-110, F-111, F-125 issued by Jaipur Development Authority in favor of Shri Himmat Mal Doshi S/o Shri Jaweri Mal Doshi and Shri Madan Lal Gupta S/o Shri Nathuram R/o Jaipur, Rajasthan on 15.09.2022 vide its letter no. जविप्रा/ उपा. जोन-8/2022/डी-4073.
6. Copy of construction permission letter for Plot No. F-109, F-110, F-111, F-125 issued by Jaipur Development Authority in favor of Mr. Himmat Mal Doshi and Mr. Madan Lal Gupta, Jaipur on 11.10.2022 vide its letter no जविप्रा/ उपा. जोन-8/2022/डी-4321.
7. Certified Copy of Sale Deed dated 28.09.2022 executed by Shri Himmat Mal Doshi S/o Shri Janwari Mal Doshi and Shri Madan Lal Gupta S/o Shri Nathuram R/o Jaipur, Rajasthan in favor of Tanishk Housing Development LLP, Jaipur which was duly registered on 30.09.2022 in the office of Sub Registrar Jaipur VIII in its Book No. 1 Volume No. 702 at Page No. 118 bearing Serial No. 202203022112392 and an additional copy of the same was also pasted in its additional Book No. 1 Volume No. 2807 at Page No. 76-100.
8. Copy of name transfer letter issued by Jaipur Development Authority in favor of M/s Tanishk Housing Development LLP, Jaipur, Rajasthan on 02.12.2022 vide its letter no. जविप्रा/ उपा. जोन-8/2022/डी- 4918.

Adv. Kripa Kumari Gurjar  
Jaipur  
Rajasthan

**Conclusion/Observation, if any**

As per the certified copies of the documents, I am of opinion that Tanishk Housing Development LLP, Jaipur is the absolute owner of the land situated at Plot No. F-109, F-110, F-111, F-125, Scheme- Vidhan Sabha Nagar, F-Block, Village-Ramsinghpura urf Dholai, Tehsil- Sanganer, District-Jaipur, State- Rajasthan. After inspection at Sub Registrar office at Jaipur, the said Land is clear, marketable and free from all encumbrances.

  
Adv. Kripa Kumari Gurjar

Adv. Kripa Kumari Gurjar



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

शहरी जमाबन्दी के आधार पर आवासीय प्रयोजनों के लिए भूमि पट्टा-वित्त



(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 'ख' के प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित भू-खण्डों के उपयोग हेतु)

यह इकरारनामा जो आज दिनांक 11.12.11 को, आवंटित/विक्रय-पत्र संख्या 103

सन् को राजस्थान राज्य के राज्यपाल जिन्हें इसमें इसके पश्चात् सरकार कह कर सम्बोधित किया गया है और दूसरी

ओर श्री/श्रीमती हिममत मल डोसी पुत्र/पत्नी

श्री जवरी मल डोसी जाति जैन व्यवसाय

निवासी 6-104 जनता कॉलोनी जयपुर (जिसकी

इसमें इसके पश्चात् पट्टेदार कह कर सम्बोधित किया गया है और इस बाबत में जहाँ कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुन्तकील अलैह भी सम्मिलित होंगे) के बीच लिखा गया है।

इसमें उल्लिखित शर्तों और करारों, जो पट्टेदार द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जावेंगे के एवज में सरकार इसके द्वारा पट्टेदार को जमीन का वह तमाम प्लॉट (जो इसके बाद उक्त भूखण्ड कह कर सम्बोधित किया गया है) का नियमन और पुनः आविष्कृत/हिली जमीन का गृह निर्माण सहकारी समिति की विधान सभा नगर विकास प्राधिकरण, जयपुर योजना में स्थित स्थान भूखण्ड संख्या 103 क्षेत्रफल 187.00 वर्ग मीटर और जो अपनी सीमाओं और क्षेत्रफल के साथ इसके साथ संलग्न साइट प्लान में अधिक पूर्ण रूपेण वर्णित है। जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में दिखलाया गया है, और जिसे पूर्व स्वामित्व सम्बन्धी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, वैध शर्तों और करारों के अधीन पट्टेदार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

1. उक्त भूखण्ड शहरी जमाबन्दी (लीज होल्ड) पर पुनः आवंटित किया गया है। लीज की अवधि, 99 वर्ष होगी।
2. पट्टेदार द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के कार्यालय में या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत अन्य स्थान पर नियमन दर 60/- रुपये प्रति वर्ग गज से कुल नियमन राशि 6728/- रुपये देय होती है जो चालान नं. 486495 दिनांक 13.12.11 से जमा है इसका 2.5% प्रति वर्ष की दर से शहरी जमाबन्दी रुपये देय है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ-9 (15) यू.डी. /3/2001 दिनांक 15.1.2002 से आठ वर्षीय लीज राशि 2244/- रुपये होती है जो चालान नं. 486495 दिनांक 13.12.11 से जमा है।
3. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल उस पर रहने के आशय से किसी भवन या भवनों के बनवाने में ही होगा। भूखण्ड का अन्य भिन्न उपयोग किसी भी भांति नहीं किया जा सकेगा। निर्मित भूखण्ड के सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10.7.99 क्रमांक पं. 5 (3) न.वि.वि./3/99 द्वारा भवन विनियमों के प्रावधानों में प्रदत्त शिथिलता के तहत नियमन योग्य निर्माण ही नियमित किया गया है। तथा नियमन अयोग्य निर्माण के सम्बन्ध में सम्बन्धित विनियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। एवं सैट बैक प्लान के अनुसार छोड़ने होंगे। परन्तु यदि भूखण्ड 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल का है तो उस पर निर्माण प्राधिकरण से भवन के नक्शे को नियमानुसार पास करवाकर कराना होगा।
4. इस लीज डीड के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए गिरवी रखा जा सकेगा।
5. आवंटि द्वारा भूखण्ड विक्रय करने पर क्रेता द्वारा भूखण्ड का हस्तांतरण जयपुर विकास प्राधिकरण के नियमों के अनुसार प्राधिकरण से करवाना होगा।
6. पट्टेदार उक्त भूखण्ड या उस पर बनाये गये भवन या भवनों का या उन दोनों के किसी भाग को किसी ऐसे आशय के लिये जो पञ्जीयक पद में निर्देशित आशय के असंगत है बिना सरकार या सरकार के ऐसे अधिकारी की लिखित स्वीकृति, के जो एतदर्थ नियुक्त किया गया हो, न तो उपयोग में लावेगा और न उपयोग में लाने की अनुमति ही देगा। पट्टेदार द्वारा पट्टा विलेख की उपरोक्त शर्तों एवं दी राज. इम्पुवमेंट ट्रस्ट (डिस्पोजल ऑफ अरबन लैंड रूल्स, 1974 के) अन्तर्गत स्थापित शर्तों की पूर्ण पालना की जावेगी। यदि किसी भी शर्त या शर्तों का उल्लंघन किया गया तो उक्त भूखण्ड एवं उस पर बने हुए भवन, यदि कोई हो, सहित उक्त भूखण्ड बिना किसी मुआवजे की राशि के अधिग्रहण कर लिया जावेगा।

उप पञ्जीयक  
द्वितीय

Registration Endorsement

आज दिनांक 09/09/2016 को  
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1043 में  
पृष्ठ संख्या 76 क्रम संख्या 201603016107679 पर पंजीबद्ध किया गया तथा  
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 4158 के  
पृष्ठ संख्या 424 से 435 पर चस्पा किया गया।

201601016009667

उप पंजीयक, JAIPUR-II

Lease deed u/s 90A of RLR act, on the basis of unregistered or insufficient stamped insturment  
executed on or before 31.05.13 but lease deed submitted for registration after 30.09.16 (Mala)



**SITE PLAN OF PLOT NO:- F-109 ( SANYUKT G.N.S.S.)**

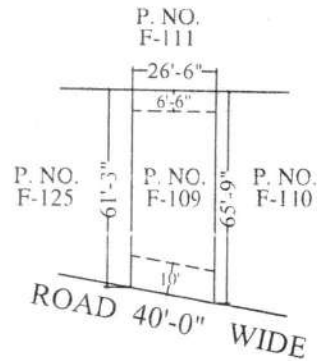
**SCHEME:- VIDHANSABHA NAGAR -"F"**

**VILLAGE- RAMSINGHPURA URF DHOLAI, TEH.- SANGANER,JAIPUR**

**PERCENTAGE OF CONSTRUCTION AREA AS PER BYE LAWS 2010 - 2011**

**PLOT AREA :- 187.00 SQ.YDS.**

**SCALE:- 1"= 50'-0"**



**THE CONSTRUCTION OF BUILDING REMAINING AS PER BYE LAWS**

**(A) SET BACKS**

**FRONT = 10'-0"**

**REAR = 6'-6"**

**SIDE 1 = 0'-0"**

**SIDE 2 = 0'-0"**

**(B) MAXIMUM PERMISSIBLE HEIGHT : 8 MTR**

**(C) STORIES : BASEMENT , GROUND FLOOR FIRST FLOOR**

**(D) CONSTRUCTION PERMISSION VALID UP TO 5 YEAR FROM THE DATE OF LEASE DEED ISSUED**

**(E) FOR CONSTRUCTION OTHER PARAMETERS WILL BE AS PER BUILDING BYE LAWS 2010**

**SITE ENGINEER**  
**ZONE -8**

**ATF/DTP**  
**ZONE -8**

**DY.COMMISSIONER**  
**ZONE -8**

**JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY**  
**JAIPUR**



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

शहरी जमाबन्दी के आधार पर आवासीय प्रयोजनों के लिए भूमि प्रदायिका

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 'ख' के प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित भूखण्ड)



यह इकरारनामा जो आज दिनांक 28/4/2006 को, आवंटित/विक्रय-पत्र द्वारा

सन् ..... को राजस्थान राज्य के राज्यपाल जिन्हें इसमें इसके पश्चात् सरकार कह कर सम्बोधित किया गया है और इसरी

ओर श्री/श्रीमती हिममत मल डोरी

श्री अंवरी मल डोरी जाति ओसवावा

निवासी 7-104, एन.टी. कॉलोनी जयपुर (जिनकी

इसमें इसके पश्चात् पट्टेदार कह कर सम्बोधित किया गया है और इस बाबत में जहाँ कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुन्तकील अलैह भी सम्मिलित होंगे) के बीच लिखा गया है।

इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों, जो पट्टेदार द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जावेंगे के एवज में सरकार इसके द्वारा पट्टेदार को जमीन का वह तमाम प्लाट ( जो इसके बाद उक्त भूखण्ड कह कर सम्बोधित किया गया है ) का नियमन और पुनः आवंटन करती है जो ..... गृह निर्माण सहकारी समिति की ..... योजना में स्थित स्थान ..... भूखण्ड ..... क्षेत्रफल ..... और जो अपनी सीमाओं और क्षेत्रफल के साथ इसके साथ संलग्न साइट प्लान में अधिक पूर्ण रूपेण वर्णित है। जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में दिखलाया गया है, और जिसे पूर्व स्वामित्व सम्बन्धी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, वैध शर्तों और करारों के अधीन पट्टेदार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

1. उक्त भूखण्ड शहरी जमाबन्दी (लीज होल्ड) पर पुनः आवंटित किया गया है। लीज की अवधि, 99 वर्ष होगी।
2. पट्टेदार द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के कार्यालय में या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत अन्य स्थान पर नियमन दर 15/- रुपये प्रति वर्ग गज से कुल नियमन राशि 27772/- रुपये देय होती है जो चालान नं. 48115/1 दिनांक 16.4.16 से जमा है इसका 2.5% प्रति वर्ष की दर से शहरी जमाबन्दी रुपये देय है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ-9 (15) यू.डी. /3/2001 दिनांक 15.1.2002 से आठ वर्षीय लीज राशि 5535/- रुपये होती है जो चालान नं. 48115/1 दिनांक 16.4.16 से जमा है।
3. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल उस पर रहने के आशय से किसी भवन या भवनों के बनवाने में ही होगा। भूखण्ड का अन्य भिन्न उपयोग किसी भी भांति नहीं किया जा सकेगा। निर्मित भूखण्ड के सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10.7.99 क्रमांक पं. 5 (3) न.वि.वि./3/99 द्वारा भवन विनियमों के प्रावधानों में प्रदत्त शिथिलता के तहत नियमन योग्य निर्माण ही नियमित किया गया है। तथा नियमन अयोग्य निर्माण के सम्बन्ध में सम्बन्धित विनियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। एवं सैट बैक प्लान के अनुसार छोड़ने होंगे। परन्तु यदि भूखण्ड 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल का है तो उस पर निर्माण प्राधिकरण से भवन के नक्शे को नियमानुसार पास करवाकर कराना होगा।
4. इस लीज डीड के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए गिरवी रखा जा सकेगा।
5. आवंटि द्वारा भूखण्ड विक्रय करने पर क्रेता द्वारा भूखण्ड का हस्तांतरण जयपुर विकास प्राधिकरण के नियमों के अनुसार प्राधिकरण से करवाना होगा।
6. पट्टेदार उक्त भूखण्ड या उस पर बनाये गये भवन या भवनों का या उन दोनों के किसी भाग को किसी ऐसे आशय के लिए जो पट्टेदार पद में निर्देशित आशय के असंगत है बिना सरकार या सरकार के ऐसे अधिकारी की लिखित स्वीकृति, के जो एतदर्थ निरुक्त किया गया हो, न तो उपयोग में लावेगा और न उपयोग में लाने की अनुमति ही देगा। पट्टेदार द्वारा पट्टा विलेख की उपरोक्त शर्तों एवं दी राज. इम्पुवमेंट ट्रस्ट (डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स, 1974 के) अन्तर्गत स्थापित शर्तों की पूर्ण पालना की जावेगी। यदि किसी भी शर्त या शर्तों का उल्लंघन किया गया तो उक्त भूखण्ड एवं उस पर बने हुए भवन, यदि कोई हो, सहित उक्त भूखण्ड बिना किसी मुआवजे की राशि के अधिग्रहण कर लिया जावेगा।

द्वितीय

Registration Endorsement

आज दिनांक 09/09/2016 को  
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1043 में  
पृष्ठ संख्या 78 क्रम संख्या 201603016107681 पर पंजीबद्ध किया गया तथा  
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 4158 के  
पृष्ठ संख्या 448 से 459 पर चस्पा किया गया।

201601016009671

उप पंजीयक, JAIPUR-II

Lease deed u/s 90A of RLR act, on the basis of unregistered or insufficient stamped instrument  
executed on or before 31.05.13 but lease deed submitted for registration on 09.09.16 (Male)



SITE PLAN OF PLOT NO:-.....F-110 (SANYUKT G.N.S.S.)

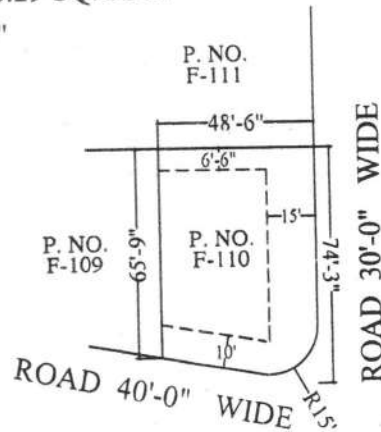
SCHEME:- VIDHANSABHA NAGAR -"F"

VILLAGE- RAMSINGHPURA URF DHOLAI, TEH.- SANGANER,JAIPUR

PERCENTAGE OF CONSTRUCTION AREA AS PER BYE LAWS 2010 - 2011

PLOT AREA :- 370.29 SQ.YDS.

SCALE:- 1"= 50'-0"



THE CONSTRUCTION OF BUILDING REMAINING AS PER BYE LAWS

(A) SET BACKS

FRONT = 10'-0"

REAR = 6'-6"

SIDE 1 = 15'-0"

SIDE 2 = 0'-0"

(B) MAXIMUM PERMISSIBLE HEIGHT : 8 MTR

(C) STORIES : BASEMENT , GROUND FLOOR FIRST FLOOR

(D) CONSTRUCTION PERMISSION VALID UP TO 5 YEAR FROM  
THE DATE OF LEASE DEED ISSUED

(E) FOR CONSTRUCTION OTHER PARAMETERS WILL BE AS PER  
BUILDING BYE LAWS 2010.

SITE ENGINEER  
ZONE -8

ATP/DTP  
ZONE -8

DY.COMMISSIONER  
ZONE -8

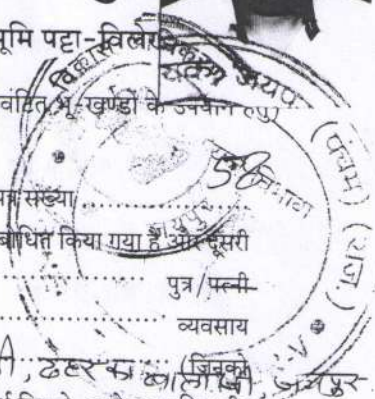
JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY  
JAIPUR



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

शहरी जमाबन्दी के आधार पर आवासीय प्रयोजनों के लिए भूमि पट्टा-विलेख

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 'ख' के प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित भूखण्डों के उपयोजन हेतु)



यह इकरारनामा जो आज दिनांक ..... 10/2/2014 को, आवंटित/विक्रय-पत्र संख्या .....  
 सन् ..... को राजस्थान राज्य के राज्यपाल जिन्हें इसमें इसके पश्चात् सरकार कह कर सम्बोधित किया गया है और इसी  
 ओर श्री/श्रीमती ..... भूपति (भा.भा.उ.प्र.) ..... पुत्र/पत्नी .....  
 रत्न ..... जाति ..... व्यवसाय .....  
 निवासी .....  
 इसमें इसके पश्चात् पट्टेदार कह कर सम्बोधित किया गया है और इस बाबत में जहाँ कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उच्चाधिकारी,  
 निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुन्तकील अलैह भी सम्मिलित होंगे) के बीच लिखा गया है।

इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों, जो पट्टेदार द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जावेंगे के एवज में सरकार इसके द्वारा पट्टेदार को जमीन का वह तमाम प्लॉट ( जो इसके बाद उक्त भूखण्ड कह कर सम्बोधित किया गया है ) का नियमन और पुनः आवंटन करती है जो ..... गृह निर्माण सहकारी समिति की ..... योजना में स्थित स्थान ..... भूखण्ड संख्या ..... क्षेत्रफल ..... और जो अपनी सीमाओं और क्षेत्रफल के साथ इसके साथ संलग्न साइट प्लान में अधिक पूर्ण रूपेण वर्णित है। जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में दिखलाया गया है, और जिसे पूर्व स्वामित्व सम्बन्धी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, वैध शर्तों और करारों के अधीन पट्टेदार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

1. उक्त भूखण्ड शहरी जमाबन्दी (लीज होल्ड) पर पुनः आवंटित किया गया है। लीज की अवधि, 99 वर्ष होगी।
2. पट्टेदार द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के कार्यालय में या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत अन्य स्थान पर नियमन दर ..... रुपये प्रति वर्ग गज से कुल नियमन राशि ..... रुपये देय होती है जो चालान नं. .... दिनांक ..... से जमा है इसका 2.5% प्रति वर्ष की दर से शहरी जमाबन्दी रुपये देय है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ-9 (15) यू.डी. /3/2001 दिनांक 15.1.2002 से आठ वर्षीय लीज राशि ..... रुपये होती है जो चालान नं. .... दिनांक ..... से जमा है।
3. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल उस पर रहने के आशय से किसी भवन या भवनों के बनवाने में ही होगा। भूखण्ड का अन्य भिन्न उपयोग किसी भी भांति नहीं किया जा सकेगा। निर्मित भूखण्ड के सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10.7.99 क्रमांक पं. 5 (3) न.वि.वि./3/99 द्वारा भवन विनियमों के प्रावधानों में प्रदत्त शिथिलता के तहत नियमन योग्य निर्माण ही नियमित किया गया है। तथा नियमन अयोग्य निर्माण के सम्बन्ध में सम्बन्धित विनियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। एवं सैट बैक प्लान के अनुसार छोड़ने होंगे। परन्तु यदि भूखण्ड 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल का है तो उस पर निर्माण प्राधिकरण से भवन के नक्शे को नियमानुसार पास करवाकर कराना होगा।
4. इस लीज डीड के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिडयूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए गिरवी रखा जा सकेगा।
5. आवंटि द्वारा भूखण्ड विक्रय करने पर क्रेता द्वारा भूखण्ड का हस्तांतरण जयपुर विकास प्राधिकरण के नियमों के अनुसार प्राधिकरण से करवाना होगा।
6. पट्टेदार उक्त भूखण्ड या उस पर बनाये गये भवन या भवनों का या उन दोनों के किसी भाग को किसी ऐसे आशय के लिये जो पिछले पद में निर्देशित आशय के असंगत है बिना सरकार या सरकार के ऐसे अधिकारी की लिखित स्वीकृति, के जो एतदर्थ नियुक्त किया गया हो, न तो उपयोग में लावेगा और न उपयोग में लाने की अनुमति ही देगा। पट्टेदार द्वारा पट्टा विलेख की उपरोक्त शर्तों एवं दी राज. इम्पुवमेंट ट्रस्ट (डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूलस, 1974 के) अन्तर्गत स्थापित शर्तों की पूर्ण पालना की जावेगी। यदि किसी भी शर्त या शर्तों का उल्लंघन किया गया तो उक्त भूखण्ड एवं उस पर बने हुए भवन, यदि कोई हो, सहित उक्त भूखण्ड बिना किसी मुआवजे की राशि के अधिग्रहण कर लिया जावेगा।

सब रजिस्ट्रार, जयपुर  
 पंचम

5, जयपुर  
SITE PLAN OF PLOT NO. - F-111 (SANYUKT G.N.S. SAMITI LTD.)

SCHEME - VIDHANSABHA NAGAR

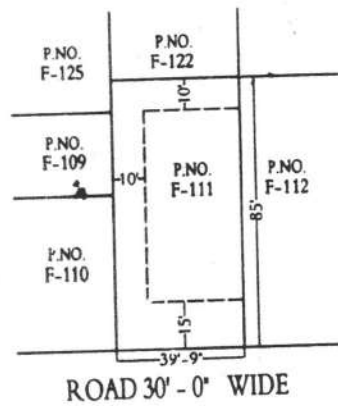
AT VILL. RAMSINGHPURA URF DHOLAI SANGANER JAIPUR.

AREA - 375.42 Sq. Yards

PERCENTAGE OF CONSTRUCTION AREA - AS PER BYE LAWS 2010-11

SCALE : - 1"=50'-0"

N ←



10/11/2011  
SITE ENGINEER  
ZONE-8

ATP/DTP  
ZONE-8

उपायुक्त (जोन-8)  
DY. COMMISSIONER  
जयपुर ZONE-8 अधिकरण, जयपुर

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY  
JAIPUR

आज दिनांक 18/2/2014 को  
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 749  
में पृष्ठ संख्या 82 क्रम संख्या 2014397002024 पर  
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त  
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 2994  
के पृष्ठ संख्या 314 से 321  
पर चरपा किया गया।

(2014397005611)

Lease deed for local body

उप पंजीयक, JAIPUR V  
जयपुर, जयपुर  
पंचम





# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

शहरी जमाबन्दी के आधार पर आवासीय प्रयोजनों के लिए भूमि पट्टा-विलेख



(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 'ख' के प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित भूखण्डों के उपयोग हेतु)

यह इकरारनामा जो आज दिनांक ..... 17.11.16 ..... 20 को, आवंटित/विक्रय-पत्र संख्या ..... 104 .....  
सन् ..... को राजस्थान राज्य के राज्यपाल जिन्हें इसमें इसके पश्चात् सरकार कह कर सम्बोधित किया गया है और दूसरी  
ओर श्री/श्रीमती हिममत मल डोसी पुत्र/पत्नी  
जी जयपुर मल डोसी जाति जैन निवासी B-104 जयपुर कॉलोनी जयपुर (जिनको  
इसमें इसके पश्चात् पट्टेदार कह कर सम्बोधित किया गया है और इस बाबत में जहाँ कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी,  
निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुन्तकील अलैह भी सम्मिलित होंगे) के बीच लिखा गया है।

इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों, जो पट्टेदार द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जावेंगे के एवज में सरकार इसके द्वारा पट्टेदार को  
जमीन का वह तमाम प्लॉट ( जो इसके बाद उक्त भूखण्ड कह कर सम्बोधित किया गया है ) का नियमन और पुनः आवंटन करती है  
जो सयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति की विधानसभा द्वारा योजना में स्थित स्थान भूखण्ड  
संख्या F-185 क्षेत्रफल 188.96 वर्ग मीटर और जो अपनी सीमाओं और क्षेत्रफल के साथ इसके साथ संलग्न साइट  
प्लान में अधिक पूर्ण रूपेण वर्णित है। जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में दिखलाया गया है, और जिसे पूर्व स्वामित्व  
सम्बन्धी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, वैध शर्तों और करारों के अधीन पट्टेदार अपने  
सम्बन्धी स्वत्वों सहित निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, वैध शर्तों और करारों के अधीन पट्टेदार अपने

1. उक्त भूखण्ड शहरी जमाबन्दी (लीज होल्ड) पर पुनः आवंटित किया गया है। लीज की अवधि, 99 वर्ष होगी।
2. पट्टेदार द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के कार्यालय में या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत अन्य स्थान पर  
नियमन दर रुपये प्रति वर्ग गज से कुल नियमन राशि 6808 रुपये देय होती है जो  
चालान नं. 485500 दिनांक 13.11.16 से जमा है इसका 2.5% प्रति वर्ष की दर से शहरी जमाबन्दी रुपये  
देय है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ-9 (15) यू.डी. /3/2001 दिनांक 15.1.2002 से आठ वर्षीय लीज  
राशि 8862 रुपये होती है जो चालान नं. 485500 दिनांक 13.11.16 से जमा है।

3. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल उस पर रहने के आशय से किसी भवन या भवनों के बनवाने में ही होगा। भूखण्ड का अन्य भिन्न  
उपयोग किसी भी भांति नहीं किया जा सकेगा। निर्मित भूखण्ड के सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10.7.99  
क्रमांक पं. 5 (3) न.वि.वि./3/99 द्वारा भवन विनियमों के प्रावधानों में प्रदत्त शिथिलता के तहत नियमन योग्य निर्माण ही  
नियमित किया गया है। तथा नियमन अयोग्य निर्माण के सम्बन्ध में सम्बन्धित विनियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। एवं  
सैट बैक प्लान के अनुसार छोड़ने होंगे। परन्तु यदि भूखण्ड 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल का है तो उस पर निर्माण प्राधिकरण  
से भवन के नक्शे को नियमानुसार पास करवाकर कराना होगा।

4. इस लीज डीड के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/  
एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए गिरवी  
रखा जा सकेगा।

5. आवंटी द्वारा भूखण्ड विक्रय करने पर क्रेता द्वारा भूखण्ड का हस्तांतरण जयपुर विकास प्राधिकरण के नियमों के अनुसार प्राधिकरण  
से करवाना होगा।

6. पट्टेदार उक्त भूखण्ड या उस पर बनाये गये भवन या भवनों का या उन दोनों के किसी भाग को किसी ऐसे आशय के लिये जो पिछले  
पद में निर्देशित आशय के असंगत है बिना सरकार या सरकार के ऐसे अधिकारी की लिखित स्वीकृति, के जो एतदर्थ नियुक्त किया  
गया हो, न तो उपयोग में लावेगा और न उपयोग में लाने की अनुमति ही देगा। पट्टेदार द्वारा पट्टा विलेख की उपरोक्त शर्तों के अन्तर्गत  
दी राज. इम्पुवमेंट ट्रस्ट (डिस्पोजल ऑफ अरबन लैंड रूलस, 1974 के) अन्तर्गत स्थापित शर्तों की पूर्ण पालना को पट्टेदार  
जावेगी। यदि किसी भी शर्त या शर्तों का उल्लंघन किया गया तो उक्त भूखण्ड एवं उस पर बने हुए भवन, यदि कोई हो, सहित उक्त  
भूखण्ड बिना किसी मुआवजे की राशि के अधिग्रहण कर लिया जावेगा।

Registration Endorsement

आज दिनांक 09/09/2016 को  
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1043 में  
पृष्ठ संख्या 76 क्रम संख्या 201603016107679 पर पंजीबद्ध किया गया तथा  
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 4158 के  
पृष्ठ संख्या 424 से 435 पर चस्पा किया गया।

201601016009667

Lease deed u/s 90A of RLR act, on the basis of unregistered or insufficient stamped instrument  
executed on or before 31.05.13 but lease deed submitted for registration after 30.09.16 (Male)

उप पंजीयक, JAIPUR-II



SITE PLAN OF PLOT NO:- F-125 (SANYUKT G.N.S.S.)

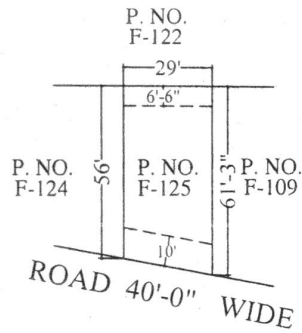
SCHEME:- VIDHANSABHA NAGAR -"F"

VILLAGE- RAMSINGHPURA URF DHOLAI, TEH.- SANGANER, JAIPUR

PERCENTAGE OF CONSTRUCTION AREA AS PER BYE LAWS 2010 - 2011

PLOT AREA :- 188.96 SQ.YDS.

SCALE:- 1"= 50'-0"



THE CONSTRUCTION OF BUILDING REMAINING AS PER BYE LAWS

(A) SET BACKS

FRONT = 10'-0"

REAR = 6'-6"

SIDE 1 = 0'-0"

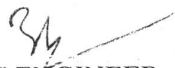
SIDE 2 = 0'-0"

(B) MAXIMUM PERMISSIBLE HEIGHT : 8 MTR

(C) STORIES : BASEMENT , GROUND FLOOR FIRST FLOOR

(D) CONSTRUCTION PERMISSION VALID UP TO 5 YEAR FROM  
THE DATE OF LEASE DEED ISSUED

(E) FOR CONSTRUCTION OTHER PARAMETERS WILL BE AS PER  
BUILDING BYE LAWS 2010

  
SITE ENGINEER  
ZONE -8

  
AIP/DTP  
ZONE -8

  
DY.COMMISSIONER  
ZONE -8

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY  
JAIPUR



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:जविप्रा/उपा. जोन-8/2022/डी-4073

दिनांक 15/9/2022

श्री हिम्मत मल डोसी पुत्र श्री जवरी मल डोसी एवं  
श्री मदन लाल गुप्ता पुत्र श्री नाथूराम,  
निवासी:-बी-104, जनता कॉलोनी,  
जयपुर।

**विषय :** संयुक्त गृहनिर्माण की आवासीय योजना विधानसभा नगर एफ ब्लॉक के आवासीय भूखण्ड संख्या एफ-109, एफ-110, एफ-111, एफ-125 कुल क्षेत्रफल 1121.67 वर्ग मी का पुर्नगठन करने के सम्बन्ध में।

**संदर्भ :** आपका ऑन लाईन आवेदन पत्र क्रमांक 112610 दिनांक 27.07.2022 के कम में।

(सीपीआरएमएस नम्बर 4156000025)

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में लेख है कि आप द्वारा संयुक्त गृहनिर्माण की आवासीय योजना विधानसभा नगर एफ ब्लॉक के आवासीय भूखण्ड संख्या एफ-109, एफ-110, एफ-111, एफ-125 कुल क्षेत्रफल 1121.67 वर्ग मी करने हेतु निवेदन किया गया है। उक्त भूखण्डों का पुर्नगठन नियमानुसार जोन स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 08.09.2022 में रवीकृत किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

| क्र.सं. | उपविभाजित भूखण्ड संख्या एवं क्षेत्रफल (वर्ग मी)                                                                                  | पुर्नगठित भूखण्ड संख्या एवं क्षेत्रफल (वर्ग मी)                                    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.      | <div>एफ-109 187 वर्ग मी</div> <div>एफ-110 370.29 वर्ग मी</div> <div>एफ-111 375.42 वर्ग मी</div> <div>एफ-125 188.96 वर्ग मी</div> | <div>एफ-109, एफ-110, एफ-111, एफ-125</div> <div>कुल क्षेत्रफल 1121.67 वर्ग मी</div> |

अतः उक्त पुर्नगठित भूखण्ड संख्या एफ-109, एफ-110, एफ-111, एफ-125 कुल क्षेत्रफल 1121.67 वर्ग मी का स्थल मानचित्र इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न:-पुर्नगठित स्थल मानचित्र की प्रति।

  
उपसमिति जोन-8  
जयपुर विकास प्राधिकरण  
जयपुर



# जयपुर विकास प्राधिकरण



SITE PLAN OF RECONSTITUTED PLOT NO. - F-109,F-110,F-111,F-125

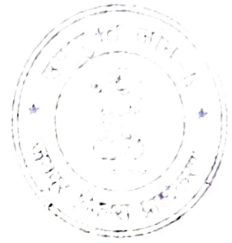
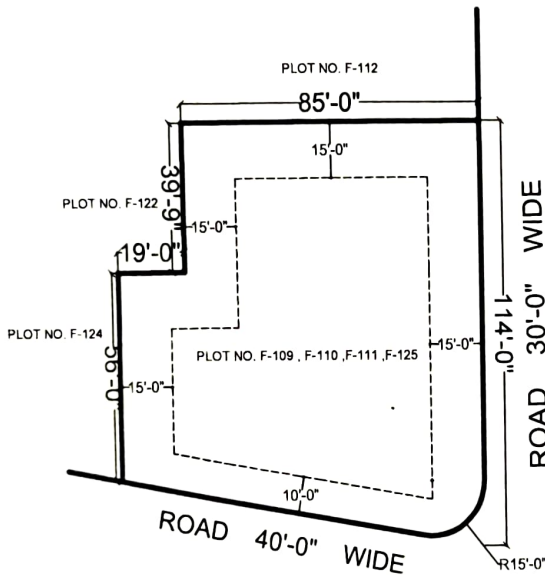
SCHEME - VIDHANSABHA NAGAR - F ( SANYUKT G.N.S.S )

VILLAGE - RAMSINGHPURA URF DHOLAI, TEH.- SANGANER, JAIPUR

LANDUSE- RESIDENTIAL

AREA - 1121.67 SqYds.

SCALE -1"-50'-0"



  
SITE ENGINEER  
ZONE 8

  
A.T.P.  
ZONE 8

  
DY. COMMISSIONER  
ZONE 8

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, JAIPUR

Government of Rajasthan  
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER  
SUB-REGISTRAR : JAIPUR-VIII

Fee Receipt  
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 28-09-2022 6:05 PM

|                      |                                                                          |                              |                   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Fee Receipt No       | : 202202022018974                                                        | Receipt Date                 | : 28/09/2022      |
| Name                 | : MANOJ KUMAR<br>GOYAL AS PARTNER<br>TANISHK HOUSING<br>DEVELOPMENT LLP, | Document S. No.              | : 202201022014870 |
| Address              | : 15 ,TILAK NAGAR ,BHARATPUR ,BHARATPUR                                  |                              |                   |
| Document Type        | : Sale Deed                                                              |                              |                   |
| Face Value           | : ₹ 11410000                                                             | Evaluated Value              | : ₹ 11406523      |
| Ord-Registration Fee | : ₹ 114100                                                               | Fee for Memorandum Us_64_67  | : ₹ 0             |
| CSI                  | : ₹ 300                                                                  | Certified copying fees Us_57 | : ₹ 0             |
| Stamp (Memorandum)   | : ₹                                                                      | Reg (memorandum)             | : ₹               |
| Surcharge            | : ₹ 205380                                                               | Stamp Duty                   | : ₹ 684600        |
| Penalty              | : ₹ 0                                                                    | Inspection fee               | : ₹ 0             |
| Us_25_34             | : ₹ 0                                                                    | Commission                   | : ₹ 0             |
| Custody              | : ₹                                                                      | Others                       | : ₹ 0             |
|                      |                                                                          | Cash Amount Received         | : ₹ 0             |
|                      |                                                                          | Other than Cash              | : ₹ 1004380       |
|                      |                                                                          | Total Amount                 | : ₹ 1004380       |

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

# eStamp IN-RJ71542086678698U ₹ 889980 # e-Registration Receipt RJ1778052718170 ₹ 114400

Signature of presenter or applicant for  
copy or Search certificate

Signature of recipient  
and date of return receipt

30/09/2022  
SUB-REGISTRAR  
(पंजीयन एवं स्टाम्प विभाग)  
मानसरोवर, जयपुर।

Cashier





# Government of Rajasthan e-Registration Fee Receipt

SECOND COPY

SRO Unique ID 2022000000999R

Receipt Date

28-SEP-2022 17:24

S R Location JAIPUR-VIII

Receipt No RJ1778052718170

Name Of Seller HIMMAT MAL DOSHI AND MADAN LAL GUPTA

Name Of Buyer TANISHK HOUSING DEVELOPMENT LLP

Type of Document 21(I) - Sale Deed (Conveyance Deed)

ACC Reference NONSH/NEERAJ KUMARI/MANSAROVAR

## Paid Fees

Stock Holding Corporation of India Limited

### Particulars

Amount (Rs.)

### Particulars

Amount (Rs.)

Registration Fees

₹ 114100

CSI

₹ 300

Copy of Fees

₹ 0

Record Inspection Fees

₹ 0

Late Fees

₹ 0

Commission Fees

₹ 0

Other Charges

₹ 0

Total Amount

₹ 114400

Service Charges

₹ 40

Grand Total

₹ 114440

( Rupees One Lakh Fourteen Thousand Four Hundred Forty Only )



Statutory Alert : The authenticity of this receipt should be verified at [www.shcilestamp.com](http://www.shcilestamp.com) . Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid.





INDIA NON JUDICIAL

Government of Rajasthan

सत्यमेव जयते

e-Stamp

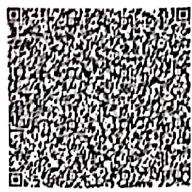


**Certificate No.** : IN-RJ71542086678698U  
**Certificate Issued Date** : 28-Sep-2022 05:17 PM  
**Account Reference** : NONACC (SV)/ rj3007804/ SANGANER/ RJ-RU  
**Unique Doc. Reference** : SUBIN-RJRJ300780432844561450757U  
**Purchased by** : TANISHK HOUSING DEVELOPMENT LLP  
**Description of Document** : Article 21(i) Sale Deed (Conveyance Deed)  
**Property Description** : PLOT NO. F-109,110,111 AND 125 CORNER VIDHANSABHA NAGAR-F RAMSINGHPURA URF DHOLAI SANGANER JAIPUR  
**Consideration Price (Rs.)** : 1,14,10,000  
 (One Crore Fourteen Lakh Ten Thousand only)  
**First Party** : HIMMAT MAL DOSHI AND MADAN LAL GUPTA  
**Second Party** : TANISHK HOUSING DEVELOPMENT LLP  
**Stamp Duty Paid By** : TANISHK HOUSING DEVELOPMENT LLP  
**Stamp Duty Payable (Rs.)** : 6,84,600  
 (Six Lakh Eighty Four Thousand Six Hundred only)  
**Surcharge for Infrastructure Development (Rs.)** : 68,460  
 (Sixty Eight Thousand Four Hundred And Sixty only)  
**Surcharge for Propagation and Conservation of Cow (Rs.)** : 68,460  
 (Sixty Eight Thousand Four Hundred And Sixty only)  
**Surcharge for Relief from Natural and Man-made Calamities (Rs.)** : 68,460  
 (Sixty Eight Thousand Four Hundred And Sixty only)  
**Stamp Duty Amount(Rs.)** : 8,89,980  
 (Eight Lakh Eighty Nine Thousand Nine Hundred And Eighty only)

Himmat Mal Doshi

Madan Lal Gupta

Tanishk Housing Development LLP



MA0001101278

**Statutory Alert:**

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shoelstamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding.
2. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
3. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.



Scanned with OKEN Scanner



## “विक्रय-पत्र”

यह विक्रय-पत्र आज दिनांक 28 सितम्बर 2022 को (1) श्री हिम्मत मल डोसी पुत्र श्री जवरी मल डोसी, आयु लगभग 66 वर्ष, निवासी- बी-104, जनता कॉलोनी, जयपुर एवं (2) श्री मदन लाल गुप्ता पुत्र श्री नाथूराम, आयु लगभग 56 वर्ष, निवासी- 71, जगबम्बा कॉलोनी, ढहर के बालाजी, जयपुर, राजस्थान प्रान्त के (विक्रेतागण) हैं, जिसे इस विक्रय पत्र में “प्रथमपक्ष” शब्द से सम्बोधित किया गया है जिसकी समस्त शर्तों से प्रथमपक्ष स्वयं एवं प्रथमपक्ष के अन्य समस्त दायभागी, स्थानापन्न, एजेन्ट, प्रतिनिधि, वारिसान, परिवारजन व उत्तराधिकारी आदि पाबन्द व सम्मिलित समझे जायेंगे की ओर से :-

### “बहक”

मैसर्स तनिष्क हाउसिंग डवलपमेन्ट एलएलपी जरिये पार्टनर श्री श्री मनोज कुमार गोयल पुत्र श्री पूरन चंद गोयल, आयु लगभग 53 वर्ष, निवासी- 15, गलबलिया निवास, सुर्य पथ, तिलक नगर, भरतपुर, राजस्थान प्रान्त का (क्रेता) है, जिसे इस विक्रय पत्र में “द्वितीयपक्ष” शब्द से सम्बोधित किया गया है, के हक में यह विक्रयपत्र निष्पादित किया गया है।

Handwritten signature and stamp.

Handwritten signature and stamp.

Handwritten signature and stamp.

जो कि प्रथमपक्ष के स्वामित्व एवं अधिकार क्षेत्र की अचल सम्पत्ति आवासीय योजना "विधान सभा नगर-एफ" ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ धौलाई, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित पुर्नगठित प्लॉट नम्बर एफ-109, एफ-110, एफ-111, एफ-125, कॉर्नर, जिसका कुल क्षेत्रफल 1121.67 वर्गगज है।

1. प्लॉट नम्बर एफ-109 का विवरण (प्रथमपक्ष-श्री हिम्मत मल डोसी):-

जो कि श्री हिम्मत मल डोसी पुत्र श्री जवरी मल डोसी के स्वामित्व एवं अधिकार क्षेत्र की अचल सम्पत्ति आवासीय योजना "विधान सभा नगर-एफ" ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ धौलाई, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित प्लॉट नम्बर एफ-109, जिसकी नाप पूर्व से पश्चिम 26 फीट 6 इंच एवं उत्तर से दक्षिण पूर्वी भुजा 61 फीट 3 इंच व पश्चिमी भुजा 65 फीट 9 इंच, जिसका कुल क्षेत्रफल 187.00 वर्गगज है। जिसकी चारों ओर की सीमाओं में उत्तर की ओर- रोड़ 40 फीट, दक्षिण की ओर- प्लॉट नम्बर एफ-111, पूर्व की ओर- प्लॉट नम्बर एफ-125 एवं पश्चिम की ओर- प्लॉट नम्बर एफ-110 स्थित है।

यह कि सर्वप्रथम श्री हिम्मत मल डोसी पुत्र श्री जवरी मल डोसी द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार नियमन कार्यवाही के अन्तर्गत नियमानुसार जयपुर विकास प्राधिकरण-जयपुर से शहरी जमाबन्दी के आधार पर आवासीय प्रयोजनों के लिए भूमि पट्टा विलेख (राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 'ख' के प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित भू-खण्डों के उपयोग हेतु) हेतु श्री हिम्मत मल डोसी पुत्र श्री जवरी मल डोसी द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण में आवंटित कुल नियमन राशि 6,732/-रूपये जरिये चालान/रसीद संख्या 486495 के द्वारा दिनांक 13/05/2016 को जमा करवा दी एवं आदेश क्रमांक एफ-9(15)यू.डी./3/2001 दिनांक 15/01/2002 से 8 वर्षीय एकमुश्त लीज राशि 2,244/-रूपये जरिये चालान संख्या 486495 के द्वारा दिनांक 13/05/2016 को जमा करवा दी।

तत्पश्चात श्री हिम्मत मल डोसी पुत्र श्री जवरी मल डोसी ने स्वयं के नाम से जयपुर विकास प्राधिकरण से आवंटनपत्र/विक्रय पत्र क्रमांक 103 दिनांक 17/05/2016 को अपने हक में प्राप्त कर लिया। उक्त पट्टा विलेख का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय जयपुर-द्वितीय के यहाँ दिनांक 09/09/2016 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 1043 में पृष्ठ संख्या 76 क्रम संख्या 201603016107679 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 4158 के पृष्ठ संख्या 424 से 435 पर चस्पा किया गया।

2. प्लॉट नम्बर एफ-110, कॉर्नर का विवरण (प्रथमपक्ष-श्री हिम्मत मल डोसी):-

जो कि श्री हिम्मत मल डोसी पुत्र श्री जवरी मल डोसी के स्वामित्व एवं अधिकार क्षेत्र की अचल सम्पत्ति आवासीय योजना "विधान सभा नगर-एफ" ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ धौलाई, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित प्लॉट नम्बर एफ-110, कॉर्नर, जिसकी नाप पूर्व से पश्चिम 48 फीट 6 इंच एवं उत्तर से दक्षिण पूर्वी भुजा 65 फीट 9 इंच व पश्चिमी भुजा 74 फीट 3 इंच, जिसका कुल क्षेत्रफल 370.29 वर्गगज है। जिसकी चारों ओर की सीमाओं में उत्तर की ओर- रोड़ 40 फीट, दक्षिण की ओर- प्लॉट नम्बर एफ-111, पूर्व की ओर- प्लॉट नम्बर एफ-109 एवं पश्चिम की ओर- रोड़ 30 फीट स्थित है।

यह कि सर्वप्रथम श्री हिम्मत मल डोसी पुत्र श्री जवरी मल डोसी द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार नियमन कार्यवाही के अन्तर्गत नियमानुसार जयपुर विकास प्राधिकरण-जयपुर से शहरी जमाबन्दी के आधार पर आवासीय प्रयोजनों के लिए भूमि पट्टा विलेख (राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 'ख' के प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित भू-खण्डों के उपयोग हेतु) हेतु श्री हिम्मत मल डोसी पुत्र श्री जवरी मल डोसी द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण में आवंटित कुल नियमन राशि जरिये चालान/रसीद संख्या 481157 के द्वारा दिनांक 16/04/2016 को जमा करवा दी एवं आदेश क्रमांक एफ-9(15)यू.डी./3/2001 दिनांक

H → my a

M  
मल्लिकार्जुन गोपाल

M  
मल्लिकार्जुन

-----  
**Presentation Endorsement**

आज दिनांक 28 माह 09 सन् 2022 को 05:59 PM बजे  
श्री/श्रीमती/पुत्री HIMMAT MAL DOSHI पुत्र/पुत्री/पति श्री JANWARI MAL  
DOSHI  
उप 66 वर्ष, जाति 0-DOSHI, व्यवसाय Other  
निवासी House No.:B-104, Colony: JANTA COLONY, Area: JANTA  
COLONY, City: JAIPUR, Pin code: 302004, District: JAIPUR, State:  
RAJASTHAN

ने मेरे सम्पूर्ण दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता  
202201022014870

Sale Deed (Conveyance Deed)

हस्ताक्षर उप पंजीयक,  
JAIPUR-VIII

-----  
**Fees Receipt Endorsement**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| रसीद नं.            | 202202022018974 |
| दिनांक              | 28-09-2022      |
| पंजीयन शुल्क ₹      | 114100          |
| प्रतिलिपि शुल्क ₹   | 0               |
| पुष्पांकन शुल्क ₹   | 300             |
| अन्य शुल्क ₹        | 0               |
| कमी स्टाम्प शुल्क ₹ | 684600          |
| कमी सरचार्ज शुल्क ₹ | 205380          |
| कुल योग             | 1004380         |

202201022014870

Sale Deed (Conveyance Deed)

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

eStamp IN-RJ71542086678698U ₹  
889980 # e-Registration Receipt  
RJ1778052718170 ₹ 114400

उप पंजीयक (अष्टम)  
(पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग)  
मानसरोवर, जयपुर।

उप पंजीयक, JAIPUR-VIII

उप पंजीयक (अष्टम)  
(पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग)  
मानसरोवर, जयपुर।

-----  
**Endorsement of Execution**  
-----

15/01/2002 से 8 वर्षीय एकमुश्त लीज राशि 5,555/-रूपये जरिये चालान संख्या 481157 के द्वारा दिनांक 16/04/2016 को जमा करवा दी।

तत्पश्चात श्री हिम्मत मल डोसी पुत्र श्री जवरी मल डोसी ने स्वयं के नाम से जयपुर विकास प्राधिकरण से आवंटनपत्र/विक्रय पत्र क्रमांक 102 दिनांक 28/04/2016 को अपने हक में प्राप्त कर लिया। उक्त पट्टा विलेख का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय जयपुर-द्वितीय के यहाँ दिनांक 09/09/2016 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 1043 में पृष्ठ संख्या 78 क्रम संख्या 201603016107681 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 4158 के पृष्ठ संख्या 448 से 459 पर चरपा किया गया।

### 3. प्लॉट नम्बर एफ-111 का विवरण (प्रथमपक्ष-श्री मदन लाल गुप्ता):-

जो कि श्री मदन लाल गुप्ता पुत्र स्व. श्री नाथुराम के स्वामित्व एवं अधिकार क्षेत्र की अचल सम्पत्ति आवासीय योजना "विधान सभा नगर-एफ" ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ धौलाई, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित प्लॉट नम्बर एफ-111, जिसकी नाप पूर्व से पश्चिम 85 फीट एवं उत्तर से दक्षिण 39 फीट 9 इंच, जिसका कुल क्षेत्रफल 375.42 वर्गगज है। जिसकी चारों ओर की सीमाओं में उत्तर की ओर- प्लॉट नम्बर एफ-109 एवं एफ-110, दक्षिण की ओर- प्लॉट नम्बर एफ-112, पूर्व की ओर- प्लॉट नम्बर एफ-122 एवं पश्चिम की ओर- रोड़ 40 फीट स्थित है।

यह कि सर्वप्रथम श्री मदन लाल गुप्ता पुत्र स्व. श्री नाथुराम द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार नियमन कार्यवाही के अन्तर्गत नियमानुसार जयपुर विकास प्राधिकरण-जयपुर से शहरी जमाबन्दी के आधार पर आवासीय प्रयोजनों के लिए भूमि पट्टा विलेख (राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 'ख' के प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित भू-खण्डों के उपयोग हेतु) हेतु श्री मदन लाल गुप्ता पुत्र स्व. श्री नाथुराम द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण में आवंटित कुल नियमन राशि जरिये चालान/रसीद संख्या 225/32 के द्वारा दिनांक 10/02/2014 को जमा करवा दी एवं आदेश क्रमांक एफ-9(15)यू.डी./3/2001 दिनांक 15/01/2002 से 8 वर्षीय एकमुश्त लीज राशि 5,631/-रूपये जरिये चालान संख्या 225/32 के द्वारा दिनांक 10/02/2014 को जमा करवा दी।

तत्पश्चात श्री मदन लाल गुप्ता पुत्र स्व. श्री नाथुराम ने स्वयं के नाम से जयपुर विकास प्राधिकरण से आवंटनपत्र/विक्रय पत्र क्रमांक 58 दिनांक 10/02/2014 को अपने हक में प्राप्त कर लिया। उक्त पट्टा विलेख का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय जयपुर-पंचम के यहाँ दिनांक 18/02/2014 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 749 में पृष्ठ संख्या 82 क्रम संख्या 2014397002024 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 2994 के पृष्ठ संख्या 314 से 321 पर चरपा किया गया।

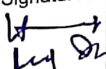
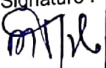
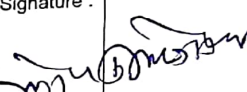
### 4. प्लॉट नम्बर एफ-125 का विवरण (प्रथमपक्ष-श्री हिम्मत मल डोसी):-

जो कि श्री हिम्मत मल डोसी पुत्र श्री जवरी मल डोसी के स्वामित्व एवं अधिकार क्षेत्र की अचल सम्पत्ति आवासीय योजना "विधान सभा नगर-एफ" ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ धौलाई, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित प्लॉट नम्बर एफ-125, जिसकी नाप पूर्व से पश्चिम 29 फीट एवं उत्तर से दक्षिण पूर्वी भुजा 56 फीट व पश्चिमी भुजा 61 फीट 3 इंच, जिसका कुल क्षेत्रफल 188.96 वर्गगज है। जिसकी चारों ओर की सीमाओं में उत्तर की ओर- रोड़ 40 फीट, दक्षिण की ओर- प्लॉट नम्बर एफ-122, पूर्व की ओर- प्लॉट नम्बर एफ-124 एवं पश्चिम की ओर- प्लॉट नम्बर एफ-109 स्थित है।

यह कि सर्वप्रथम श्री हिम्मत मल डोसी पुत्र श्री जवरी मल डोसी द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार नियमन कार्यवाही के अन्तर्गत नियमानुसार जयपुर विकास प्राधिकरण-जयपुर से शहरी जमाबन्दी के आधार पर आवासीय प्रयोजनों के लिए भूमि पट्टा विलेख (राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 'ख' के प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित

11  
11  
11

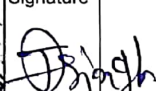
11  
11  
11

| अनु क्र. | पक्षकारों का नाम व पता                                                                                                                                                                                                                                                                      | छायाचित्र                                                                          | अंगूठा                                                                              | पक्षकारों का प्रकार                                                                                                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | श्री/श्रीमती/सुश्री HIMMAT MAL DOSHI, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री JANWARI MAL DOSHI, व्यवसाय Otherजाति 0-DOSHI House No.:B-104, Colony: JANTA COLONY, Area: JANTA COLONY, City: JAIPUR, Pin code: 302004, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN                                                    |  |  | Presenter<br>Age : 66<br>Signature :  |
| 2        | श्री/श्रीमती/सुश्री MADAN LAL GUPTA, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NATHURAM , व्यवसाय Otherजाति 0-MAHAJAN House No.:71, Colony: DEHER KE BALAJI, Area: JAGDAMBA COLONY, City: JAIPUR, Pin code: 302039, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN                                                        |  |  | Executant<br>Age : 56<br>Signature :  |
| 3        | श्री/श्रीमती/सुश्री MANOJ KUMAR GOYAL AS PARTNER TANISHK HOUSING DEVELOPMENT LLP, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री POORAN CHAND GOYAL, व्यवसाय Businessजाति 0-MAHAJAN House No.:15, Colony: TILAK NAGAR, Area: SURYA PATH, City: BHARATPUR , Pin code: 321001, District: BHARATPUR, State: RAJASTHAN |  |  | Claimant<br>Age : 53<br>Signature :   |

ने लेख्यपत्र Sale Deed (Conveyance Deed) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 11410000/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 11410000/- पूर्व में ————— ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

| अनु क्र. | गवाहों का नाम व पता                                                                                                                                                                                                                                                           | छायाचित्र                                                                            | अंगूठा                                                                                | हस्ताक्षर                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Name: श्री/श्रीमती/सुश्री CHHATAR SINGH BOTHRA, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री LATE BABULAL BOTHRA जाति BOTHRA Age: 58 Add: House No.:D-214, Colony: BHASKAR MARG, BANI PARK, Area: PENT HOUSE 2 KAMAL APARTMENT, City: JAIPUR, Pin code: 302016, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN |  |  | Signature  |
| 2        | Name: श्री/श्रीमती/सुश्री JITENDRA, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री RAMBHAROSI जाति JAT Age: 34 Add: House No.:0, Colony: VAMANPURA, JAGHINA, Area: LAGHU PATTI, City: BHARATPUR, Pin code: 321021, District: BHARATPUR, State: RAJASTHAN                                             |  |  | Signature  |

202201022014870

Sale Deed (Conveyance Deed)

उप पंजीयक, JAIPUR-VIII

(पंजीयक एवं सहायक विभागी)  
मानसरोवर, जयपुर



भू-खण्डों के उपयोग हेतु हेतु श्री हिम्मत मल डोसी पुत्र श्री जवरी मल डोसी द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण में आवंटित कुल नियमन राशि 6,802/-रूपये जरिये चालान/रसीद संख्या 486500 के द्वारा दिनांक 13/05/2016 को जमा करवा दी एवं आदेश क्रमांक एफ-9(15)यू.डी./3/2001 दिनांक 15/01/2002 से 8 वर्षीय एकमुश्त लीज राशि 2,267/-रूपये जरिये चालान संख्या 486500 के द्वारा दिनांक 13/05/2016 को जमा करवा दी।

तत्पश्चात श्री हिम्मत मल डोसी पुत्र श्री जवरी मल डोसी ने स्वयं के नाम से जयपुर विकास प्राधिकरण से आवंटनपत्र/विक्रय पत्र क्रमांक 104 दिनांक 17/05/2016 को अपने हक में प्राप्त कर लिया। उक्त पट्टा विलेख का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय जयपुर-द्वितीय के यहाँ दिनांक 09/09/2016 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 1043 में पृष्ठ संख्या 77 क्रम संख्या 201603016107680 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 4158 के पृष्ठ संख्या 436 से 447 पर चस्पा किया गया।

तत्पश्चात् प्रथमपक्ष (1. श्री हिम्मत मल डोसी एवं 2. श्री मदन लाल गुप्ता) ने जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में ऑन लाईन आवेदन पत्र क्रमांक 112610 दिनांक 27/07/2022 को उक्त प्लॉट नम्बर एफ-109, एफ-110, एफ-111 एवं एफ-125 का पुर्नगठन करने हेतु आवेदन किया। जिसके सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा जरिये पत्र क्रमांक जविप्रा/उपा./जोन-8/2022/डी-4073 दिनांक 15/09/2022 को उक्त प्लॉट नम्बर एफ-109, एफ-110, एफ-111, एफ-125, कुल क्षेत्रफल 1121.67 वर्गगज का पुर्नगठन कर स्थल मानिचित्र जारी कर दिया।

इस प्रकार उक्त सम्पत्ति आवासीय योजना "विधान सभा नगर-एफ" ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ धौलाई, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित पुर्नगठित प्लॉट नम्बर एफ-109, एफ-110, एफ-111, एफ-125, कॉर्नर, जिसका कुल क्षेत्रफल 1121.67 वर्गगज पर प्रथमपक्ष एकमात्र मालिक, स्वामी एवं काबिज हो गया एवं वर्तमान में उक्त सम्पत्ति को हर प्रकार से उपयोग एवं उपभोग में लेने, हस्तान्तरित करने, विक्रय करने आदि समस्त अधिकार प्रथमपक्ष को प्राप्त है।

यह कि उक्त सम्पत्ति पर प्रथमपक्ष के अलावा अन्य कोई हिस्सेदार, साझेदार नहीं है तथा उक्त सम्पत्ति को प्रथमपक्ष के द्वारा आज दिन तक किसी भी सरकारी, अर्द्धसरकारी, बैंकिंग, वित्तीय संस्थान व जनसाधारण आदि के हक में किसी भी प्रकार इकरारनामा, विक्रय-पत्र, दान, वसीयत, बक्शीश, गिरवी, ऋण, कुर्की, डिक्री, बेनामा, त्याग-पत्र इत्यादि द्वारा हस्तान्तरित नहीं किया गया है। उक्त सम्पत्ति वर्तमान में समस्त प्रकार के सरकारी, अर्द्धसरकारी, बैंकिंग, जन-साधारण व अन्य वित्तीय संस्थान आदि के ऋण-भारो एवं हर प्रकार के राजकीय, अदालती व जन-साधारण आदि के झगड़ो-टन्टो से पूर्णतया: मुक्त व पाक है। उक्त सम्पत्ति को हर प्रकार से उपयोग में लेने एवं विक्रय इत्यादि करने के समस्त अधिकार प्रथमपक्ष को प्राप्त है।

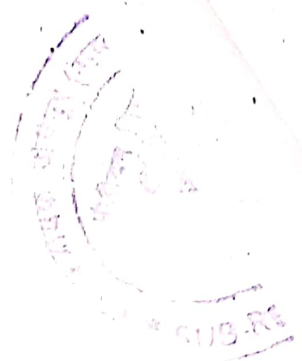
चूँकि प्रथमपक्ष को अपनी निजी एवं पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रूपयो की आवश्यकता होने के कारण अपनी स्वस्थ इन्द्रिय व स्थिर बुद्धि की अवस्था में बिना किसी नशे पते की दशा में बिना किसी अन्य व्यक्ति के दबाव बहकावे व जोर जबरन की दशा में अपनी इच्छा व प्रसन्नता से उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति आवासीय योजना "विधान सभा नगर-एफ" ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ धौलाई, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित पुर्नगठित प्लॉट नम्बर एफ-109, एफ-110, एफ-111, एफ-125, कॉर्नर, जिसका कुल क्षेत्रफल 1121.67 वर्गगज को समस्त मालिकाना, स्वत्वाधिकारो व समस्त हक अन्दरूनी, बाहरी, मंजिल दर मंजिल निर्माण अधिकार सहित, हक बालाई दाखली, खारिजी व मुश्तर्का इत्यादि सहित बिना रखे किसी भी अंश व भाग के एवं अपने समस्त स्वत्वाधिकारो मय जमाशुदा राशि व लाभांशो सहित बिना रखे किसी भी अंश व भाग के कुल मुबलिग राशि 1,14,10,000/-रूपये अक्षरे एक करोड़ चौदह लाख दस हजार रूपये की एवज में

H + m D

कोफे

- नरेश कुमार गोपाल





Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रु 11410000 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 684600 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 114100, सरचार्ज राशि 205380 कुल रु 1004080 रसीद संख्या 202202022018974 दिनांक 28-09-2022 में जमा किये गये हैं।  
अतः दस्तावेज को रु 684600 के मुद्रांकरों पर निष्पादित माना जाता है।

202201022014870

Sale Deed (Conveyance Deed)

उप पंजीयक, JAIPUR-VIII

Registration Endorsement

आज दिनांक 30/09/2022 को  
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 702 में  
पृष्ठ संख्या 118 क्रम संख्या 202203022112392 पर पंजीबद्ध किया गया तथा  
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 2807 के  
पृष्ठ संख्या 76 से 100 पर चस्पा किया गया।

202201022014870

Sale Deed (Conveyance Deed)

उप पंजीयक, JAIPUR-VIII

उप पंजीयक (अवधूत)  
(पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग)  
मानसरोवर, जयपुर



//5//

क्रेता द्वितीयपक्ष गैरसरकारी तनिष्क हाउसिंग डवलपमेन्ट एलएलपी जरिये पार्टनर श्री श्री मनोज कुमार गोयल पुत्र श्री पूरन चंद गोयल, आयु लगभग 53 वर्ष, निवासी- 15, गलबलिया निवास, सुर्य पथ, तिलक नगर, भरतपुर, राजस्थान प्रान्त के हक में विक्रय कर दिया अर्थात् कतई बेचान कर दिया तथा विक्रय प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि निम्न प्रकार प्राप्त कर ली है:-

| Amount               | Through                                                                       | Date | Bank & Branch                              |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|
| 78,59,610/-          | RTGS-AUBLR5202<br>2092751927940                                               |      | AU Small Finance Bank<br>(Himmat Mal Dosi) |
| 79,390/-             | 1%TDS Through BSR CODE 0014431,<br>Challan No. 03626 Date 27.09.2022 Bank-SBI |      | (Himmat Mal Dosi)                          |
| 34,36,290/-          | RTGS-AUBLR5202<br>2092751927958                                               |      | (Madan Lal Gupta)                          |
| 34,710/-             | 1%TDS Through BSR CODE 0013283,<br>Challan No. 03122 Date 27.09.2022 Bank-SBI |      | AU Small Finance Bank<br>(Madan Lal Gupta) |
| <b>1,14,10,000/-</b> | <b>Total Amount</b>                                                           |      |                                            |

इस प्रकार विक्रय प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष से उपरोक्तानुसार प्राप्त कर ली है जिसे प्राप्त करना प्रथमपक्ष इस विक्रयपत्र में स्वीकार करता है। अब द्वितीयपक्ष से प्रथमपक्ष को उक्त सम्पत्ति के विक्रय मूल्य पेटे कोई भी राशि लेनी शेष नहीं रही है। द्वितीयपक्ष को उक्त बेचान की गई सम्पत्ति से सम्बन्धित सभी मूल कागजात मय उक्त प्लॉट का खाली अवस्था में मौके पर वास्तविक एवं भौतिक कब्जा सम्भाला दिया है एवं उक्त प्लॉट से सम्बन्धित समस्त अधिकार व आधिपत्य प्रदान करते हुये द्वितीयपक्ष को एकमात्र मालिक व स्वामी बना दिया है।

यह कि द्वितीयपक्ष के हक में रजिस्ट्री आज करा दी गई है एवं रजिस्ट्री का समस्त खर्चा (जैसे स्टाम्प ड्यूटी, पंजीयन शुल्क इत्यादि) द्वितीयपक्ष स्वयं ने ही वहन किया है।

यह कि आज के पश्चात विक्रय की गई सम्पत्ति आवासीय योजना "विधान सभा नगर-एफ" ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ धौलाई, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित पुर्नगठित प्लॉट नम्बर एफ-109, एफ-110, एफ-111, एफ-125, कॉर्नर, जिसका कुल क्षेत्रफल 1121.67 वर्गगज पर प्रथमपक्ष या प्रथमपक्ष के अन्य समस्त दायभागियो, परिवारजनो, एजेन्टो, वारिसानो, स्थानापन्नो एवं उत्तराधिकारियो का किसी भी प्रकार का कोई स्वामित्व व अधिकार नहीं रहा एवं ना ही आगे भविष्य में कभी रहेगा।

यह कि उक्त विक्रय की गई सम्पत्ति पर आज रजिस्ट्री से पूर्व का किसी भी प्रकार का कोई भी बकाया जैसे किसी भी सरकारी, गैर-सरकारी, वित्तीय संस्थान, बैंक इत्यादि का कोई भी बकाया, वाद विवाद, झगड़ा, टन्टा, ऋण-भार इत्यादि किसी भी प्रकार कोई भी पाया जाता है या भविष्य में द्वितीयपक्ष के नाम से होने वाली रजिस्ट्री से पूर्व का कोई भी बकाया निकलता है तो उन सबके निपटारे, सुलझाने, चुकाने आदि की सम्पूर्ण जिम्मेदारी खर्चों सहित प्रथमपक्ष की होगी तथा आज रजिस्ट्री (विक्रयपत्र) के पश्चात विक्रय की गई सम्पत्ति से सम्बन्धित सम्पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीयपक्ष की होगी।

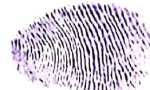
यह कि उक्त सम्पत्ति पर आज से एकमात्र द्वितीयपक्ष मालिक व स्वामी के रूप में काबिज रहते हुये हर प्रकार का उपयोग व उपभोग करें, दान, बख्शीश करें, गिरवी रखें, नव निर्माण कराकर, जरिये तामीरात मंजिल दर मंजिल निर्माण कार्य करावे, अन्य सुधार कार्य करें, रंग रोगन करावे, इसमें स्वयं रहे या अन्य किसी को किराये पर देवे, किरायेदार से किराया प्राप्त करें, किरायेदार से उक्त सम्पत्ति को खाली करावे, और हर प्रकार से उपयोग व उपभोग करते हुये किसी भी व्यक्ति को किसी भी कीमत पर बिचौती कर राशि प्राप्त कर इकरारनामा तहरीर व तकमील करावे, रजिस्ट्री करावे, कब्जा देवे और प्रत्येक प्रकार से लाभान्वित होवे।

यह कि द्वितीयपक्ष इस विक्रयपत्र के तहत समस्त सरकारी, गैरसरकारी विभागो, नगर निगम, जयपुर विकास प्राधिकरण इत्यादि में प्रथमपक्ष के स्थान पर द्वितीयपक्ष अपना नाम अंकित करावे एवं पानी-बिजली कनेक्शन लेवे/हस्तान्तरित करावे तो प्रथमपक्ष व प्रथमपक्ष के किसी भी वारिसान, एजेन्ट, प्रतिनिधि, पारिवारजन, उत्तराधिकारियो को इसमें कोई ऐतराज नहीं होगा।

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



//6//

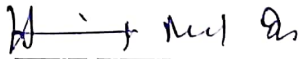
### "विक्रय की गई सम्पत्ति का विवरण"

यह कि विक्रय की गई सम्पत्ति आवासीय योजना "विधान सभा नगर-एफ" ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ धौलाई, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित पुर्नगठित प्लॉट नम्बर एफ-109, एफ-110, एफ-111, एफ-125, कॉर्नर, जिसका कुल क्षेत्रफल 1121.67 वर्गगज का है।

यह कि विक्रय की गई सम्पत्ति खाली भूखण्ड है, जिसमें कोई निर्माण कार्य नहीं है तथा 30 फीट एवं 40 फीट चौड़ी कॉर्नर रोड़ पर स्थित है। विक्रय की गई सम्पत्ति को भली-भांति से समझने के लिए संलग्न मानचित्र में पीले रंग से दर्शाया गया है। जो इस विक्रय पत्र का एक अभिन्न अंग है व रहेगा।

यह कि इस विक्रय-पत्र की छायाप्रति भविष्य में अस्पष्ट व अपठनीय होने पर सम्बन्धित पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

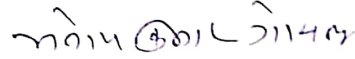
अतः यह विक्रय पत्र प्रथमपक्ष ने अपनी इच्छा व प्रसन्नता से बिना किसी दबाव व आग्रह के बिना किसी नशे-पते की दशा में अपने पूर्ण होशो ह्वाश में कुल किता छः पर द्वितीयपक्ष के हक में लेख्य कर दिया है और उक्त वर्णित इबारत को भली प्रकार से पढ़, सुन व सोच, समझ कर सही स्वीकार कर अपने हस्ताक्षर/अंगुठात् के निशान निम्न दो गवाहों के समक्ष कर दिये हैं जो प्रमाण रहे और समय पर काम आवे, ईति लेख्य दिनांक :



हस्ताक्षर प्रथमपक्ष

(1) श्री हिम्मत मल जोशी

PAN-ABRPD3822B



हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष

मैसर्स तनिष्क हाउसिंग डवलपमेन्ट एलएलपी

जरिये पार्टनर श्री मनोज कुमार गोयल

PAN-AFAPG7645A



(2) श्री मदन लाल गुप्ता

PAN-ACIPG4807F

### "गवाहों का विवरण"

1. हस्ताक्षर



नाम-छत्र सिंह बोथरा

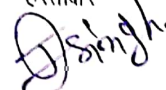
पिता का नाम-स्व. श्री बाबुलाल बोथरा

उम्र- 58 वर्ष, जाति-बोथरा

निवासी- पेण्टहाउस, कमल अपार्टमेन्ट-2,

डी-214, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर

2. हस्ताक्षर



नाम-जितेन्द्र

पिता का नाम-रामभरोसी

उम्र- 34 वर्ष, जाति-जाट

निवासी- लघु पट्टी, वमनपुरा, जधीना, भरतपुर

उप पंजीयक (अप्राप्त)  
(पंजीयन एवं मुद्रांक)  
मानसरोवर, जयपुर

Drafted by :-

Sd/- Sushil Sharma

Local Director (31/12/2011)

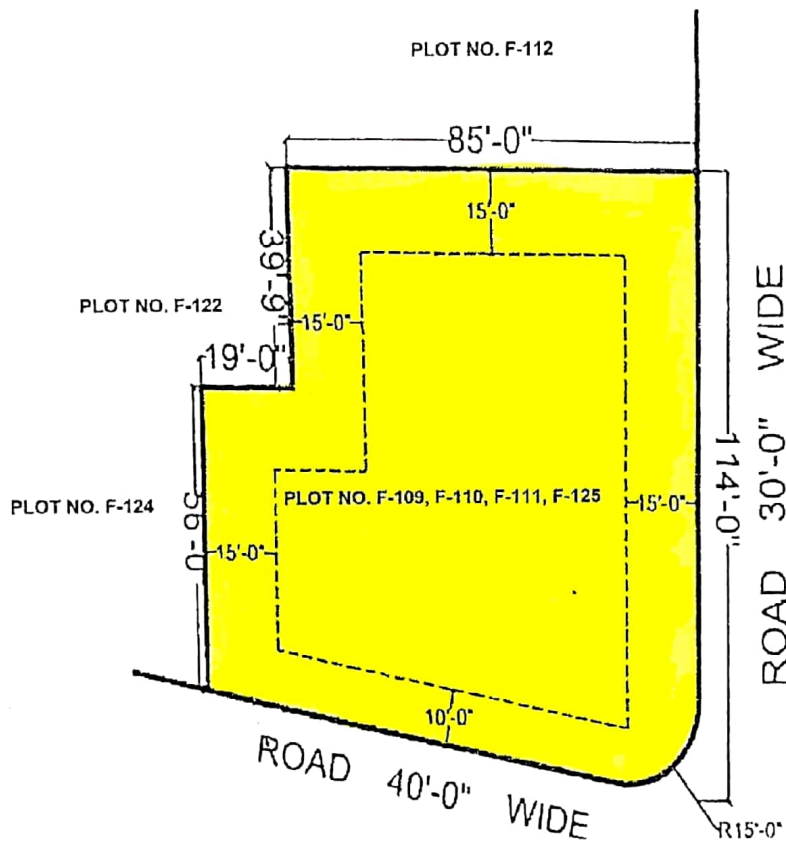
Draft as per the direction

Given by Executant & Claimant

SITE PLAN OF PLOT NO. F-109, F-110, F-111, F-125,

IN SCHEME "VIDHANSABHA NAGAR-F"

VILLAGE- RAMSINGHPURA URF DHOLAI, TEH. SANGANER, JAIPUR



DEED COLOR SHOWN THUS :-



TOTAL AREA = 1121.67 SQ. YRDS.

SIGNATURE

SIGNATURE



क्रमांक: जविप्रा/उपा. जोन-8/2022/डी-4918

दिनांक 2/12/2022

नाम हस्तान्तरण पत्र

मैसर्स तनिष्क हाउसिंग डवलपमेन्ट एलएलपी जरिये पार्टनर  
श्री मनोज कुमार गोयल पुत्र श्री पूरन चंद गोयल,  
निवासी:-15, गलबलिया निवास, सुर्य पथ, तिलक नगर,  
भरतपुर।

विषय : संयुक्त गृहनिर्माण की आवासीय योजना विधानसभा नगर एफ ब्लॉक के आवासीय  
भूखण्ड संख्या एफ-109, एफ-110, एफ-111, एफ-125 कुल क्षेत्रफल 1121.67 वर्ग मीटर का  
नाम हस्तान्तरण करने बाबत।

संदर्भ : आपका ऑन लाईन आवेदन पत्र क्रमांक 119411 दिनांक 01.11.2022 के क्रम में।

(सीपीआरएमएस नम्बर 4156000025)

आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.09.2022 के आधार पर  
संयुक्त गृहनिर्माण की आवासीय योजना विधानसभा नगर एफ ब्लॉक के आवासीय भूखण्ड संख्या  
एफ-109, एफ-110, एफ-111, एफ-125 कुल क्षेत्रफल 1121.67 वर्ग मीटर का नाम हस्तान्तरण आपके नाम  
उन्हीं नियमों एवं शर्तों पर किया जाता है जिन नियमों एवं शर्तों पर उक्त भूखण्डों की लीजडीड क्रमशः  
(भू.सं. एफ-109) क्रमांक डी-103 दिनांक 17.05.2016, (भू.सं. एफ-125) क्रमांक डी-104 दिनांक 17.05.  
2016, (भू.सं. एफ-110) क्रमांक डी-102 दिनांक 28.04.2016 के द्वारा श्री हिममतमल डोसी पुत्र  
श्री जवरीमल डोसी एवं (भू.सं. एफ-111) क्रमांक डी-58 दिनांक 10.02.2014 के द्वारा श्री मदन लाल गुप्ता  
पुत्र स्व. श्री नाथूराम के पक्ष में जारी की गई थी। नाम हस्तान्तरण पत्र क्रमांक 4918 दिनांक 2/12/2022  
को मैसर्स तनिष्क हाउसिंग डवलपमेन्ट एलएलपी जरिये पार्टनर श्री मनोज कुमार गोयल पुत्र श्री पूरन चंद  
गोयल के पक्ष में जारी किया गया। पट्टाधारी/हस्तान्तरिती के समस्त उत्तरदायित्व एवं हक आपको  
हस्तान्तरण किये जाते हैं।

यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में अगर कोई तथ्य भिन्न पाये जाते हैं या इन दस्तावेजों की  
वैधता को लेकर स्वामित्व बाबत कोई तथ्य/बात उत्पन्न होती है तो सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी एवं  
यह नाम हस्तान्तरण-पत्र स्वतः प्रथम दृष्टया निरस्त (Prima Facie ab-initio void) समझा जावेगा।

उपायुक्त जोन-8 - 8  
जविप्रा, जयपुर  
जयपुर विकास प्राधिकरण  
जयपुर